न्यायालयः–सोलहवें सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण इंदौर(म.प्र.)
{पीठासीन–विश्व दीपक तिवारी)}

MACC Case No.637/2023
Filing No. MACC/1318/2023
Filing Date 07 /02/2023
Registration date 10/02/2023
CNR No. MP0901-004802-2023

1. अफसाना पति स्व. अशफाक अली,
उम्र–25 वर्ष, व्यवसाय–गृहणी **(पत्नी)**
2. शाकीर पिता सलीम अली,
उम्र–49 वर्ष, व्यवसाय–कुछ नहीं **(पिता)**
3. सरवरी बी पति शाकीर,
उम्र–46 वर्ष, व्यवसाय–गृहणी **(माता)**
4. मोहम्मद सलीम उर्फ सलीम पिता रसूलजमा,
उम्र–74 वर्ष, व्यवसाय–कुछ नहीं **(दादा)**
5. मोमिना बी पति मोहम्मद सलीम,
उम्र–69 वर्ष, व्यवसाय–गृहणी **(दादी)**
सभी निवासी– 58, अशरफी नगर, खजराना, इंदौर (म.प्र.)

.... **आवेदकगण**

बनाम

1. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
पता–आइडिया मल्टी, रेसकोर्स रोड, 5 फ्लोर इंदौर म.प्र.
(वाहन कार कमांक एम.पी.–09/एल.आर.–5898 की बीमा कंपनी)
2. मनीष पिता राजू साहू,
निवासी–632/7, महेश यादव नगर, छोटी कुमार खाड़ी,
बाणगंगा इंदौर म.प्र.
(वाहन कार कमांक एम.पी.–09/एल.आर.–5898 का चालक)
3. कैलाशचंद्र पिता राधाकिशन साहू,
निवासी–सरेड़ी, तहसील मनोहर, जिला झालावार राजस्थान
हा.मु.–632/7, महेश यादव नगर, छोटी कुमार खाड़ी,
बाणगंगा इंदौर म.प्र.
रजिस्ट्रेशन पता–लक्ष्मीबाई स्टेशन रोड, म.नं. 203/7,
बाणगंगा, इंदौर
(वाहन कार कमांक एम.पी.–09/एल.आर.–5898 का पंजीकृत स्वामी)

------------अनावेदकगण

आवेदकगण द्वारा – श्री राजेश पाल अधिवक्ता।
अनावेदक क्रं. 01 – श्री संतोष पाल अधिवक्ता।
अनावेदक क्रं. 02, 03 – श्री राहुल यादव अधिवक्ता।

–::अधिनिर्णय::–
(आज दिनांक 29 जुलाई 2026 को घोषित)

1. आवेदकगण ने यह क्षतिपूर्ति याचिका मोटर यान अधिनियम की धारा 166 एवं 140 (आगे अधिनियम कहा जाएगा) के अंतर्गत वाहन कार क्रमांक एम.पी. 09 एल.आर. 5898 से हुई दुर्घटना में आहत अशफाक अली की मृत्यु होने से 60,90,000/–(साठ लाख नब्बे हजार रुपये) की क्षतिपूर्ति हेतु अनावेदकगण के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. याचिका संक्षेप में इस प्रकार है कि दुर्घटना दिनांक 08.10.2022 को अशफाक अली अपनी मोटरसायकिल टी.वी.एस. स्टार सिटी से अपनी साइड से धीरे–धीरे नौकरी पर जा रहा था। मृतक करीब 12 बजे जैसे ही वृंदावन होटल के पीछे, स्कीम नंबर 78, इंदौर पहुंचा तभी कार क्रं. एम.पी.–09/एल.आर.–5898 का चालक अपनी कार को काफी तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लहराता हुआ लाया और मृतक अशफाक की मोटरसायकिल में जोर से टक्कर मार दी जिससे अशफाक अली अपनी मोटरसायकिल सहित गिर गए और उनको सिर, दोनों हाथों, पैर में गंभीर चोटें आईं। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना देखी और कार को मौके पर रोक लिया तथा नंबर नोट कर लिया। आहत को 108 एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर ले गए जहां दिनांक 08.10.2022 से 09.10.22 तक भर्ती रखकर इलाज किया गया। इलाज के दौरान रात्रि 10:30 बजे आहत अशफाक अली की मृत्यु हो गई। मृतक अशफाक का पोस्टमार्टम एम.वाय. अस्पताल इंदौर में किया गया। दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना लसुड़िया, इंदौर में की गई।

3. आवेदन में यह भी अभिवचन है कि मृतक अशफाक दुर्घटना के समय 26 वर्ष का स्वस्थ, मेहनती, होनहार जिम्मेदार नवयुवक व्यक्ति होकर मासु इंडिया कामरोल में नौकरी करके प्रतिमाह 15,000/–रूपये की आय अर्जित करता था। इसके अतिरिक्त मृतक सुबह एवं शाम को एवं छुट्टी के दिनों में रोप्पेल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड में अपनी मोटरसायकिल को रेपिडो के माध्यम से सवारियों को लाने ले जाने का कार्य करता था जिससे उसे 10,000/– रुपए प्रतिमाह की अतिरिक्त आमदनी हो जाती थी। इस प्रकार मृतक अशफाक 25,000/– रुपए प्रतिमाह आय अर्जित करता था। मृतक अशफाक परिवार का

कमाने वाला एकमात्र सदस्य था। दुर्घटना में उसकी असामयिक मृत्यु हो जाने से आवेदकगण मृतक के प्रेम, स्नेह तथा सहारे से वंचित हो गए। आवेदकगण ने अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथक्–पृथक् कुल 60,90,000/–(साठ लाख नब्बे हजार रूपये) रूपये की क्षतिपूर्ति राशि एवं धारा 140 मोटर यान अधिनियम के तहत् अंतरिम सहायता की राशि और उस पर ब्याज दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

4. अनावेदक क्रमांक 01 बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत लिखित कथन/उत्तर में आवेदन के समस्त तथ्यों को दस्तावेजी प्रमाण एवं जानकारी के अभाव में अस्वीकार कर विशेष अभिवचन किया है कि दुघ्र्टना दिनांक को अनावेदक क्रं. 02 के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावशाली ड्रायविंग लायसेंस नहीं था। दुर्घटना दिनांक 08.10.2022 को कारित होना अभिकथित किया है, किंतु दुर्घटना की पुलिस रिपोर्ट दिनांक 09.10.2022 को अर्थात् घटना के 01 दिन पश्चात् की गई है जिससे स्पष्ट होता है कि दुर्घटना मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है। आवेदक ने अनावेदक क्रं. 02 व 03 से संगनमत होरक दुर्घटना वाहन कार क्रं. एम.पी.–09/एल.आर.–5898 से होना असत्य रूप से बताया है। उक्त आधारों पर क्लेम याचिका सव्यय निरस्त करने की प्रार्थना की है।

5. अनावेदक क्रं. 02 एवं 03 ने प्रस्तुत लिखित कथन में आवेदक के समस्त तथ्यों को अस्वीकार करते हुए लेख किया है कि दुर्घटना दिनांक 08.10.2022 को वाहन कार इंजन नं. G12BN1007385 चेचिस नंबर MA3ERLF1S00979434 की बीमा कंपनी म्याद दिनांक 28.10.2021 से 27.10.2022 तक प्रतिप्रार्थी क्रं. 01 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं.लि. के यहां संपूर्ण क्षतिपूर्ति की अदायगी के लिए बीमित होने से क्षतिपूर्ति अवॉर्ड अनावेदक क्रं. 01 के विरूद्ध किया जावे। उक्त आधारों पर अनावेदक क्रं. 02 व 03 के विरूद्ध क्लेम याचिका सव्यय निरस्त करने की प्रार्थना की है।

6. उभयपक्ष के अभिवचनों और प्रलेखों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न निर्मित किए गए हैं, जिन पर विवेचना उपरांत दिये गये निष्कर्ष उनके सम्मुख अंकित किये जा रहे हैं:–

क्र	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या दिनांक 08.10.2022 को समय सुबह 11:58 बजे स्थान वृन्दावन होटल के पीछे, स्कीम नं. 78, इंदौर के अंतर्गत लोकमार्ग पर अनावेदक क. 02 वाहन चालक ने अनावेदक क.03 के स्वामित्व एवं अनावेदक क. 01 के यहां बीमित	''प्रमाणित''

	वाहन कार क्र. एम.पी.–09/एल.आर.–5898 ने अपने वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर आहत/मृतक की मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की जिसके परिणास्वरूप आहत/मृतक अशफाक को आई गंभीर चोटों के कारण उसकी उपेक्षापूर्ण मृत्यु कारित हुई ?	
2	क्या आवेदकगण मृतक पर आश्रित होकर उसके विधिक उत्तराधिकारी हैं ?	**''कण्डिका–28 अनुसार आवेदक क्र. –01 लगायत 03 आश्रित होकर विधिक उत्तराधिकारी हैं''**
3	क्या दुर्घटना के पूर्व मृतक 26 वर्षीय स्वस्थ पुरूष होकर 25,000/–रूपए प्रतिमाह आय अर्जित करता था ?	**'''उम्र 27 वर्ष एवं आय 11,442/–रूपये प्रतिमाह होना प्रमाणित''**
4	क्या अनावेदक क्र.–02 एवं 03 ने वाहन कार क्र. एम.पी.–09/एल.आर.–5898 की बीमा पॉलिसी की शर्तों एवं मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, यदि हां तो क्या अनावेदक क्र. 01 बीमा कंपनी दायित्वाधीन नहीं है ?	**''नासाबित''**
5	क्या प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है?	**''नासाबित''**
6	क्या उक्त दुर्घटना अंशदायी उपेक्षा के परिणामस्वरूप कारित हुई ?	**''प्रमाणित नहीं''**
7	क्या आवेदकगण अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यदि हां तो किससे व कितनी ?	**''अधिनिर्णय की कंडिका 39 अनुसार''**
8	सहायता एवं व्यय ?	**''अधिनिर्णय की कंडिका 40 अनुसार''**

<u>निष्कर्ष के आधार</u>

<u>वाद प्रश्न क्र.–01 एवं 06 पर निष्कर्ष :–</u>

7. साक्ष्यजन्य अंतर्सम्बद्धता के कारण विवेचन के दोहराव को टालने के लिए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

8. आवेदन प्रमाणित करने के लिए आवेदकगण की ओर से मृतक के पिता शाकीर अली (आ.सा.–01), प्रत्यक्षदर्शी साक्षी शिव शंकर वर्मा (आ.सा.–02) तथा अकाउंटेंट सुरेश कुमार मेहर (आ.सा.–03) को परीक्षित कराया गया है।

9. शाकीर अली (आ.सा.–01) ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि दिनांक 08.10.2022 को दोपहर करीब 12:00 बजे उनका पुत्र अशफाक मोटरसाइकिल से धीरे–धीरे सावधानीपूर्वक कंपनी के काम से बाहर जा रहा था और वह भी उसके पीछे आ रहा था। वृंदावन होटल के पीछे स्कीम नंबर 78 पर जैसे ही अशफाक पहुंचा तो वाहन क्रमांक एम.पी.–09/एल.आर.–5898 का चालक उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए आया और उसके पुत्र की मोटरसाइकिल में साईड से टक्कर मार दी और उसके पुत्र को घसीटते हुए 8–10 फीट की दूरी तक चला गया जिसके कारण अशफाक को सिर, दाहिने हाथ, पैर, शरीर में चोटें आयी। घटना कारित करने वाले वाहन का फोटो किसीने खींच लिया था। कार चालक घटनास्थल से भाग गया था। घटनास्थल पर मौजूद लोग तथा वह अपने पुत्र को लेकर बॉम्बे हॉस्पिटल गए जहां दिनांक 08.10.2022 से दिनांक 09.10.2022 तक उसे भर्ती कर इलाज किया गया।

10. प्रतिपरीक्षण की कंडिका 5 में बताया है कि घटना दिनांक को वहां किसी काम से स्कीम नंबर 78 से लोहा मंडी जा रहा था। आगे इसी कंडिका में स्वीकार किया है कि घटना कारित करने वाले वाहन का नंबर उसने नहीं देखा था, आसपास के लोगों ने बताया था। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 7 में इस सुझाव से इंकार किया है कि उसका लड़का तेज गति से वाहन चला रहा था। यह स्वीकार किया है कि घटना सड़क के बीचो–बीच हुयी थी और स्वतः कहा कि घटना के बाद साईड में गिर गया था।

11. प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षित कराए गए शिवशंकर वर्मा (आ.सा.–02) ने अभिसाक्ष्य में बताया है कि दिनांक 08.10.2022 को वृंदावन होटल के पीछे स्कीम नंबर 78 पर वह चाय की दुकान पर चाय पी रहा था और अशफाक अली अपनी मोटरसाइकिल टी.वी.एस. स्टार से धीरे–धीरे स्कीम नंबर 78 से विजय नगर की तरफ जा रहा था तभी वृंदावन होटल के पीछे चौराहे पर दाहिने तरफ से आ रही इको फोर्ड कार नंबर एम.पी.–09/एल.आर.–5898 का चालक उक्त कार को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए आया और अशफाक की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिसके कारण मोटरसाइकिल सहित अशफाक सड़क पर गिर गया।

12. प्रतिपरीक्षण में शिवशंकर वर्मा (आ.सा.–02) ने कथन किया है कि अशफाक गाड़ी पर अकेला था। उसने गाड़ी का नंबर अपनी आंखो

से देखा था। इस सुझाव से इंकार किया है कि अशफाक गाड़ी सड़क के बीचोबीच चला रहा था, आगे इस सुझाव से भी इंकार किया है कि वह अशफाक को अस्पताल लेकर नहीं गया था।

13. आवेदक की ओर से प्रस्तुत चिकित्सीय अभिलेख बॉम्बे अस्पताल की एम.एल.सी. प्र.पी.–08 में घटना के समय आहत को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति के नाम में न तो उसके पिता शाकीर (आ. सा.–01) और न ही प्रत्यक्षदर्शी साक्षी शिवशंकर वर्मा (आ.सा.–02) का उल्लेख है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी–02 जिस पर आवेदक ने अपना मामला आधारित किया है, में भी यही उल्लेख है कि शाकीर अली (आ. सा.–01) को घटना की जानकारी फोन से प्राप्त हुयी। पुलिस अंतिम प्रतिवेदन प्र.पी.–01 की साक्ष्य सूची में भी शिवशंकर वर्मा (आ.सा.–02) के नाम का उल्लेख नहीं है। इस कारण उपरोक्त दोनों साक्षियों की घ टनास्थल पर उपस्थिति संदेहास्पद है।

14. आवेदकगण की ओर से मामला प्रमाणित करने हेतु घटना से उद्भूत अपराध क्रमांक 1579/2022 अंतर्गत क्रमांक धारा 279, 337 भा. द.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.–02, घटनास्थल के नक्शे से संबंधित अपराध विवरण फॉर्म प्र.पी.–03, घटना कारित करने वाले वाहन कार का जप्ती पत्रक प्र.पी.–04 वाहन चालक से वाहन का रजिस्ट्रेशन, लायसेंस एवं अन्य दस्तावेज बरामद कर तैयार किया गया है। दुघ र्टनाकारी वाहन कार के मालिक को दिया गया धारा 133 अधिनियम का सूचनापत्र प्र.पी.–05, वाहन चालक को दिया गया धारा 41–क दप्रसं. का सूचना पत्र प्र.पी.–06 है व पावती प्र.पी.–07 है, थाने को दुर्घटना की दी गई सूचना प्रदर्श पी–08 एवं 09, अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीकरण अंतर्गत धारा 174 दं.प्र.स. प्र.पी.–10, नक्शा पंचायतनामा प्र.पी.–11, धारा 175 दप्रसं. का सूचना पत्र प्र.पी.–12, शव परीक्षण के लिए आवेदन प्र.पी.–13, शव परीक्षा प्रतिवेदन रिपोर्ट प्र.पी.–14 व 15 है। उपरोक्त अपराध के अन्वेषण पश्चात् दुर्घटनाकारी वाहन कार के चालक मनीष के विरूद्ध माननीय न्यायालय जे.एम.एफ.सी. इंदौर में प्रस्तुत पुलिस अंतिम प्रतिवेदन प्र.पी.–01 भी प्रस्तुत किया गया है।

15. घटना से संबंधित अपराध क्रमांक 1579/2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.–02 है जिसमें दुर्घटना कारी कार क्र. एम.पी. –09/एल.आर.–5898 का उल्लेख किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि जप्ती पत्रक प्र.पी.–04 के अनुसार दुर्घटनाकारी कार को वाहन चालक मनीष साहू से बरामद किया गया है। वाहन स्वामी को धारा 133 अधिनियम का नोटिस देते हुए वाहन चालक अभियुक्त मनीष साहू के विरूद्ध अभियोग पत्र प्र.पी.–01 संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो दुर्घटनाकारी वाहन एवं वाहन चालक की घटना में संलिप्तता को

दर्शित करता है। साथ ही साथ निष्पक्ष अन्वेषण पश्चात् पुलिस का निष्कर्ष है कि वाहन चालक द्वारा घटना के समय दुर्घटनाकारी कार का चालन उपेक्षापूर्ण तरीके से किया गया है।

16. अन्वेषण के दौरान पुलिस द्वारा एकत्रित साक्ष्य, दस्तावेज एवं प्रस्तुत अभियोग पत्र की मोटर दुर्घटना मामले में विश्वसनीयता के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मंगला राम वि. ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य ए.आई.आर. 2018 सुप्रीम कोर्ट 1900** में यह अभिनिर्धारित किया है कि मोटर यान दुर्घटना के परिणामस्वरूप प्रस्तुत क्षतिपूर्ति आवेदनो में साक्ष्य का मूल्यांकन संभावनाओं प्रबलता के आधार पर किया जाता है और पुलिस द्वारा अन्वेषण पश्चात् प्रस्तुत अभियोगपत्र वाहन चालक के विरूद्ध उपेक्षापूर्वक वाहन चलाने का प्रथमदृष्ट्या प्रमाण है। उपरोक्त न्यायदृष्टांत का सुसंगत अंश सुलभ संदर्भ हेतु उद्घृत किया जा रहा हैः–

> "*27.Another reason which weighed with the High Court to interfere in the first appeal filed by Respondents 2 & 3, was absence of finding by the Tribunal about the factum of negligence of the driver of the subject jeep. Factually, this view is untenable. Our understanding of the analysis done by the Tribunal is to hold that Jeep No. RST 4701 was driven rashly and negligently by Respondent 2 when it collided with the motorcycle of the appellant leading to the accident. This can be discerned from the evidence of witnesses and the contents of the charge-sheet filed by the police, naming Respondent 2. This Court in a recent decision in Dulcina Fernandes [Dulcina Fernandes v. Joaquim Xavier Cruz, (2013) 10 SCC 646, noted that the key of negligence on the part of the driver of the offending vehicle as set up by the claimants was required to be decided by the Tribunal on the touchstone of preponderance of probability and certainly not by standard of proof beyond reasonable (2018) 5 SCC 656; 2018 INSC 311 doubt. Suffice it to observe that the exposition in the judgments already adverted to by us, filing of charge-sheet against Respondent 2 prima facie points towards his complicity in driving the vehicle negligently and rashly. Further, even when the*

accused were to be acquitted in the criminal case, this Court opined that the same may be of no effect on the assessment of the liability required in respect of motor accident cases by the Tribunal."

17. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत अद्यतन न्यायदृष्टांत **आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी वि. रजनी साहू 2025 आई.एन.एस.सी. 6** में अभिनिर्धारित किया गया है कि क्लेम मामलों में उपेक्षा संबंधी प्रश्न को अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए और यदि पुलिस अन्वेषण के अभिलेख उपलब्ध हैं तो उन्हें विचार में लेना चाहिए। उपरोक्त न्यायदृष्टांत का सुसंगत अंश उद्घृत किया जा रहा है:–

"Thus, there can be no dispute with respect to the position that the question regarding negligence which is essential for passing an award in a motor vehicle accident claim should be considered based on the evidence available before the Tribunal. If the police records are available before the Tribunal, taking note of the purpose of the Act it cannot be said that looking into (2023) 13 SCC 510; 2023 INSC 621. Such documents for the aforesaid purpose is impermissible or inadmissible.

10. It is also a fact that the appellant had attributed that the respondent claimants connived with police and fraudulently prepared the chargesheet. The contention is that the vehicle insured with the appellant was not involved in the accident and the accident had occurred solely due to the rash and negligence on the part of the deceased. But the evidence on record would reveal that pursuant to the filing of the final report, cognizance was taken for rash and negligent driving which resulted in the death of Udayanath Sahoo."

18. अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत क्लेम प्रकरण में कार्यवाही संक्षिप्त विचारण के तहत की जाती है, जिसमें आवेदक को प्रथमदृष्टया अपना प्रकरण प्रमाणित करना होता है। सिविल प्रकरणों की तरह अपना प्रकरण प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है। न्याय दृष्टांत **विमला देवी व अन्य बनाम हिमाचल रोड ट्रांसपोर्टेशन व अन्य ए0आई0आर0 2009 एस0सी0–2819** अवलोकनीय है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मोटरयान क्षतिपूर्ति दावों में साक्ष्य विधि के प्रावधान कठोरता

से लागू नहीं होते हैं।

19. इस संबंध में **न्यायदृष्टांत अनिल तिवारी विरूद्ध साहेबसिंह एम.पी.एल.जे. 2000(1) पेज–59** विशेष रूप से अवलोकनीय है। माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि मोटर दुर्घटना दावा के प्रकरणों में दांडिक प्रकरण के दस्तावेजों को ठोस सबूत से साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है।

20. जहां तक दुर्घटना में मृतक की अंशदायी उपेक्षा का प्रश्न है तो अंशदायी उपेक्षा के संबंध में अनावेदकगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। घटना का सर्वोत्तम साक्षी स्वयं दुर्घटनाकारी वाहन कार का चालक अनावेदक क्र.–02 था, किन्तु अनावेदक क्रमांक 02 द्वारा स्वयं का परीक्षण न्यायालय में नहीं कराया गया है। यदि दुर्घटना अनावेदक क्र. 02 की लापरवाही से घटित नहीं होती तो निश्चित रूप से अनावेदक क्र. 02 के द्वारा न्यायालय में स्वयं का परीक्षण कराया गया होता। अतः उक्त स्थिति में प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों से उक्त दुर्घटना आवेदक की अंशदायी उपेक्षा से घटित होना प्रमाणित नहीं हुआ है, बल्कि कथित दुर्घटना दुर्घटनाकारी वाहन कार के चालक के द्वारा तेजी, लापरवाही व उतावलेपन से चलाकर आवेदक को टक्कर मारने से हुई है। इस संबंध में न्यायदृष्टान्त **Madhya Pradesh State Road Trans . Corpn. Vs. Vaijanti and others 1995 ACJ 560** में प्रतिपादित विधि अनुसरणीय है कि चालक को साक्ष्य के लिए प्रस्तुत नहीं करने पर उसके विरूद्ध उपधारणा की जायेगी। ऐसी स्थिति में अंशदायी उपेक्षा प्रमाणित नहीं होती है।

21. इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि दिनांक 08.10.2022 को समय सुबह 11:58 बजे स्थान वृन्दावन होटल के पीछे, स्कीम नं. 78, इंदौर के अंतर्गत लोकमार्ग पर अनावेदक क्र.02 वाहन चालक ने अनावेदक क्र.03 के स्वामित्व एवं अनावेदक क्र. 01 के यहां बीमित वाहन कार क्र. एम.पी.–09/एल.आर.–5898 ने अपने वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर आहत/मृतक की मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की जिसके परिणास्वरूप आहत/मृतक अशफाक को आई गंभीर चोटों के कारण उसकी उपेक्षापूर्ण मृत्यु कारित हुई। अतः वादप्रश्न क्र.–01 का निराकरण **"प्रमाणित"** एवं वाद प्रश्न क्रमांक 06 का निराकरण **"प्रमाणित नहीं"** में दिया जाता है।

<u>वाद प्रश्न क्रमांक–04 एवं 05 पर निष्कर्षः–</u>

22. साक्ष्यजन्य अंतर्सम्बद्धता के कारण विवेचन के दोहराव को टालने के लिए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

23. दुर्घटना दिनांक को दुर्घटना कारित वाहन को उसके चालक द्वारा बिना लायसेंस चलाया जाना साबित करने का भार बीमा कंपनी पर है, परंतु बीमा कंपनी ने उपरोक्त उत्तरदायित्व निर्वहन हेतु कोई प्रमाण अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है। अतः यह प्रमाणित नहीं है कि अनावेदक क्रं. 02 ने प्रश्नगत वाहन कार दुर्घटना के समय बिना वैध लायसेंस के चलाया।

24. जहॉ तक प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन का दोष होने का प्रश्न है, इस संबंध में पूर्व विवेचना अनुसार यह तथ्य प्रमाणित नहीं हुआ है कि घटना दिनॉक को आहत/मृतक की लापरवाही से दुर्घटना घटित हुई थी। प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर यही तथ्य प्रमाणित हुआ है कि घटना दिनॉक को अनावेदक क्र. 02 के द्वारा दुर्घटनाकारी वाहन कार को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर आहत/मृतक की मोटरसायकिल में टक्कर मारने के कारण उक्त दुर्घटना घटित हुई थी। तब ऐसी स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त वाहन की बीमा कंपनी को पक्षकार नहीं बनाया गया तो प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन का दोष होना प्रमाणित नहीं होता है।

25. तब **वाद प्रश्न क्रं. 04 एवं 05 ''नासाबित''** के रूप में निराकृत किया जाता है।

<u>वाद प्रश्न क्रमांक 02, 03 व 07 पर निष्कर्षः–</u>

26. साक्ष्यजन्य अंतर्सम्बद्धता के कारण विवेचन के दोहराव को टालने के लिए उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

27. यह प्रमाणित तथ्य है कि दुर्घटना दिनांक 08.10.2022 को हुयी है। इसके परिणामस्वरूप मृतक अशफाक की मृत्यु दुर्घटना के छः दिन बाद दिनांक 14.10.2022 को हुयी है। आवेदक शाकीर अली ने अपने अभिवचन एवं कथन में बताया है कि दुर्घटना के समय उसका पुत्र 26 वर्ष का था। मृतक अशफाक की मृत्यु के समय उम्र के विषय में अभिलेखीय प्रमाण आवेदकगण की ओर से उसका आधारकार्ड प्रस्तुत किया है जो प्र.पी.–50सी है जिसमें जन्म दिनांक 02.04.1996 अंकित है। आवेदक शाकीर ने मौखिक साक्ष्य में मृत्यु के समय उसके पुत्र की उम्र 26 वर्ष होना बताया है, परंतु प्रतिपरीक्षण की कण्डिका–06 में कथन किया है कि व मजदूरी करता है, स्वतः कहा कि मजदूरी कभी–कभी मिलती है और उसके तीन लड़के थे, जिसमें से एक लड़के की मृत्यु हो गयी, दूसरा लड़का 26 वर्ष का था जिसकी शादी नहीं हुयी थी और तीसरा लड़का 21 वर्ष का है वह कोई काम नहीं करता है। यदि मौखिक साक्ष्य पर विश्वास किया जाए तो प्रतिपरीक्षण में किए गए

कथनो के दृष्टिगत मृत्यु के समय मृतक अशफाक की उम्र लगभग 26 वर्ष रही होगी।

28. एम.एल.सी. प्र.पी.–08 में मृतक की उम्र 30 वर्ष एवं प्रपी–18 लगायत प्र.पी.–24 की रिपोर्ट में अशफाक की उम्र 27 वर्ष अभिलिखित है, परंतु शवपरीक्षण प्र.पी.–14, 15 में चिकित्सकों द्वारा मृतक की उम्र 27 वर्ष लेख की गई है। मौखिक साक्ष्य स्थिर नहीं है। आधारकार्ड में आयु के संबंध में कईं विरोधाभास उम्र को कम या ज्यादा को लेकर होते हैं ऐसी स्थिति में आधारकार्ड एक विश्वास योग्य दस्तावेज नहीं है। इस संबध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायदृष्टांत सरोज एवं अन्य वि. इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी एवं अन्य दिनांक 24.10. 2024. एस.एल.पी. (सिविल) नबंर 23939–23940/2025 में यह निर्णय दिया है कि आधारकार्ड आयु का वैध प्रमाणपत्र नहीं है। तब दुर्घटना दिनांक को मृतक की चिकित्सीय अभिलेखों के आधार पर उम्र 27 वर्ष मान्य की जाती है।

29. आश्रितों के संबंध में आवेदकगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है, परंतु आवेदिका अफसाना मृतक की विधवा पत्नी है तथा आवेदक शाकीर एवं सरवरी मृतक के माता–पिता तथा आवेदक सलीम एवं मोमिना मृतक के पितामह एवं पितामही है। उपरोक्त तथ्यों का खंडन बीमा कंपनी की ओर से भी नहीं किया गया है। विधवा पत्नी वर्ग एक की उत्तराधिकारी होकर मृतक की आश्रित है तथा **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध बीरेन्दर सिंह एआईआर 2020 एससी 434** में प्रतिपादित सिद्धांत की वयस्क विवाहित पुत्र, जिसे मृतक पिता यथासमय सहयोग करता था, को भी विधिक प्रतिनिधि के रूप में मान्य किया जाकर आश्रित माना गया। उपरोक्त के प्रभाव से मृतक के माता एवं पिता भी उस पर आश्रित मान्य किए जाते हैं। मृतक के पिता का उत्तरदायित्व है कि वह अपने पिता एवं माता की देखभाल करे और उनके जीवित रहते पितामह एवं पितामही मृतक पर आश्रित मान्य नहीं किए जा सकते। इस कारण मृत्यु के समय मृतक के आश्रितों की संख्या 3 निर्धारित की जाती है।

30. आय के संबंध में शाकीर अली आ.सा.–01 ने बताया है कि उनका पुत्र मासु इंडिया कंट्रोल कंपनी में फील्ड में काम करता था। मृतक की आय प्रमाणित करने के लिए मासु कंपनी के लेखापाल सुरेश कुमार मेहर आ.सा.–03 के रूप में परीक्षित हुए हैं और उन्होंने शपथ पूर्वक कथन किया है कि जनवरी 2017 से अक्टूबर 2022 तक अशफाक अली ने उनकी कंपनी में सर्विस इंजीनियर के पद पर कार्य किया है और कंपनी द्वारा अशफाक अली को प्रतिमाह 15,000/–रूपए प्रतिमाह

वेतन दिया जाता था। उन्होंने अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक का मृतक का सेलरी प्रमाणपत्र प्र.पी.–53 प्रस्तुत किया है, जिसमें कुल सेलरी 15,000/–रूपए, बेसिक 10,500/–रूपए तथा एच.आर.ए. 4500/–रूपए संयोजित कर कार्य दिवस के आधार पर प्रतिमाह वेतन भुगतान किया जाता था।

31. प्रस्तुत वेतन प्रमाण पत्र अक्टूबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक का है और अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2022 तक का वेतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं है। प्रमाण पत्र प्र.पी.–54 के अनुसार अशफाक अली खान मासु इंडिया कंट्रोल कंपनी में बतौर सर्विस इंजीनियर कार्य करता था, जिसके संबंध में कथन किए जाने हेतु लेखापाल सुरेश कुमार मेहर आ. सा.–03 को अधिकृत किया गया था। कार्य दिवसों की संख्या के आधार पर मृतक ने अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक औसत लगभग 11,442/–रूपए प्रतिमाह वेतन प्राप्त किया है, जिसमें एच.आर.ए. सम्मिलित है। उपरोक्त का खंडन बीमा कंपनी नहीं कर सकी है। अतः उपरोक्त समानुपात में मृतक अशफाक अली की मृत्यु के समय प्रतिमाह आय 11,442/–रूपए निर्धारित की जाती है। उपरोक्तानुसार वाद प्रश्न क्रं. 02, अनुसार ''आवेदक क्रं. 01 लगायत 03 मृतक पर आश्रित होकर उसके उत्तराधिकारी है'' एवं वाद प्रश्न क्रं. 03 अनुसार ''मृतक की आयु 27 वर्ष होकर उसकी आय 11,442/– रुपए प्रतिमाह निर्धारित की जाती है।''

32. न्यायदृष्टांत रेशमा कुमारी व अन्य विरूद्ध मदन मोहन व अन्य 2013 ए.सी.जे. 1253 एस.सी. फुल बेंच काजल विरूद्ध जगदीश चन्द्र और अन्य ए.आई.आर. 2020 एस.सी. 776, मेग्मा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. वि. नानूराम एवं अन्य 2018 ए.सी.जे. 2782 एस.सी. एवं यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड़ विरूद्ध सतींदर कौर और अन्य ए.सी. जे.2020 एस.सी.2131 में प्रतिपादित विधि सिद्धांतों के अनुसार हस्तगत मामले में क्षतिपूर्ति का आंकलन एवं निर्धारण किए जाने में निम्न तथ्यों को विचार में लिया जाएगाः–

1. मृतक की आयु।
2. मृतक की मृत्यु के समय उसकी आमदनी।
3. मृतक पर उसकी मृत्यु दिनॉक को आश्रित व्यक्तियों की संख्या।

33. **सरला वर्मा एवं अन्य वि. दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन एवं अन्य ए.आई.आर. 2009 एस.सी. 3104** में माननीय उच्चतम न्यायालय में आश्रितता की हानि निर्धारण में तीन कारकों पर विचार किए जाने संबंध अभिमत दिए हैंः–

1. आय में परिवृद्धि / कटौती वाले कारक।
2. मृतक के व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च की कटौती।
3. मृत्यु के समय उम्र के अनुसार प्रयुक्त गुणांक।

उक्तानुसार क्षतिपूर्ति आंकलन हेतु प्रत्येक कारक पर विचार किया जा रहा है।

34. भविष्यवर्ती प्रत्याशा में आय के निर्धारण के लिये माननीय उच्चतम न्यायालय ने **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड़ विरूद्ध प्रणय सेठी 2017 (4) एस.सी.सी.डी. 2108** में मार्गदर्शन दिया है। उक्त न्यायदृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत मामले पर विचार किया जावे तो मृतक की औसत मासिक आय 11,442/– रूपये प्रतिमाह मान्य की गई है। मृतक स्वनियोजित होकर मासु इंडिया कंट्रोल कंपनी में नौकरी करता था तब उसकी भविष्य की संभावनाओं में उम्र–27 वर्ष होने से 40 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि जोड़ी जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार मृतक की वार्षिक आय 11,442x12=1,37,304/–रूपये होती है जिसमें 40 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि 54,922/– रूपये और जोड़ी जावे तो उसकी वास्तविक वार्षिक आय 1,92,226/- (एक लाख बानवे हजार दो सौ छब्बीस रूपये) होती है।

35. आश्रितों की संख्या 03 है। तब न्यायदृष्टांत **प्रणय सेठी** (पूर्वोक्त) एवं **सरला वर्मा** (पूर्वोक्त) को दृष्टिगत रखते हुए मृतक के विवाहित होने से व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च में 1/3 भाग (1,92,226–64,075) कम करने पर मृतक की कुल वास्तविक आय 1,28,151/–रूपये (एक लाख अट्ठाईस हजार एक सौ इक्यावन रूपए) होती है। मृतक की उम्र दुर्घटना के समय 27 वर्ष की होना पाई गई है। तब न्यायदृष्टांत सरला वर्मा (पूर्वोक्त) के अनुसार 26–30 की आयु के वर्ग के अंतर्गत गुणांक 17 का लागू होगा। इस प्रकार 1,28,151X17=21,78,567/–(इक्कीस लाख अठहत्तर हजार पांच सौ सड़सठ रूपये)/– आश्रितता हानि मद की राशि निर्धारित की जाती है।

36. अशफाक को दुर्घटना के पश्चात बॉम्बे अस्पताल, इंदौर में भर्ती किया गया और इस दौरान इलाज में हुए खर्च के बिल प्र.पी.–18 लगायत प्र.पी.–49 है जिसके अनुसार कुल व्यय 1,80,824/–रूपए है।

37. न्यायदृष्टान्त **मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी विरूद्ध नानूराम ए. आई.आर.आनलाइन 2018 सुप्रीम कोर्ट 1249** में शब्द, **'साहचर्य'** को परिभाषित करते हुए उसमें दाम्पत्य साहचर्य, पितृत्व साहचर्य तथा फिलियल (पुत्रयोग्य या बेटा संबंधी) साहचर्य को सम्मिलित किया गया है। आवेदक क्रं. 4 एवं 5 साहचर्य हानि की राशि प्राप्त करने के हकदार

नहीं है। अतः आवेदक क्रं. 01 लगायत 03 साहचर्य हानि राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। मृतक के अंतिम संस्कार एवं अन्य क्रियाकर्म में भी खर्च हुआ एवं संपदा की हानि हुई है। न्यायदृष्टांत प्रणय सेठी (पूर्वोक्त) वर्ष 31.10.2017 का है इसलिए साहचर्य तथा संपदा की हानि में परिवृद्धि की जा रही है। दुर्घटना वर्ष 2022 की है इसलिए साहचर्य एवं संपदा राशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाना उचित है। इन सब तथ्यों का खंडन अनावेदकगण की ओर से नहीं हुआ है। आवेदकगण, मृतक के दाह संस्कार पर खर्च होने वाली राशि 16,500/- रूपये एवं संपदा हानि मद में 16,500/- रूपये पाने के अधिकारी है। आवेदिका क्र.-01 पत्नी, आवेदक क्र.-02, 03 पिता एवं माता, प्रत्येक को 44,000/-रूपये दिलाए जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

38. इस प्रकार आवेदकगण को प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति राशि का बिन्दुवार विवरण इस प्रकार है :-

1.	आश्रितता मद की क्षतिपूर्ति राशि	**21,78,567/-**
2.	इलाज संबंधी बिल	**1,80,824/-**
3.	साहचर्य, स्नेह हानि मद में (आश्रितगण 3x44,000)	**1,32,000/-**
4.	दाह संस्कार खर्च	**16,500/-**
5.	संपदा हानि	**16,500/-**
	कुल	**25,24,391/-(पच्चीस लाख चौबीस हजार तीन सौ इक्यानवे रुपए)**

39. उपरोक्त विवेचनानुसार **वाद प्रश्न क्रमांक-07** पर यह निष्कर्ष दिया जाता है कि आवेदक क्रं. 01 लगायत 03 रुपए **25,24,391/-(पच्चीस लाख चौबीस हजार तीन सौ इक्यानवे रुपए)** क्षतिपूर्ति राशि अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथक्-पृथक रूप से प्राप्त करने के हकदार है। क्षतिपूर्ति राशि अदा करने का प्रथम दायित्व अनावेदक क्रमांक-1 बीमा कम्पनी का होगा।

<u>वाद प्रश्न क्रमांक-08 सहायता एवं व्यय-</u>

40. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन पर पश्चात् आवेदक क्रं. 04 व 05 के संबंध में आवेदन निरस्त करते हुए आवेदक क्रं. 01 लगायत 03 के संबंध में क्षतिपूर्ति दावा आंशिक रूप से प्रमाणित पाया जाता है। अतः आवेदक क्रं. 01 लगायत 03 के पक्ष में अनावेदकगण के विरूद्ध निम्नानुसार

अवार्ड पारित किया जाता है—

01. आवेदक क्रं. 04 व 05 के संबंध में क्षतिपूर्ति आवेदन निरस्त किया जाता है।

02. अनावेदकगण संयुक्ततः एवं पृथक्—पृथक् रूप से आवेदक क्र. 01 लगायत 03 को क्षतिपूर्ति राशि रूपये **25,24,391/—(पच्चीस लाख चौबीस हजार तीन सौ इक्यानवे रुपए)** एक माह की समयावधि में अदा करे।

03. उक्त संपूर्ण राशि पर दावा दायरा दिनांक से संपूर्ण अदायगी दिनांक तक 06 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी अनावेदकगण, आवेदक क्रं. 01 लगायत 03 को अदा करेंगे। भविष्य की संभावनाओं की आय पर ब्याज देय नहीं होगा।

04. राशि अदायगी का प्रथम भार अनावेदक क्रं. 01 बीमा कंपनी पर है।

05. अनावेदकगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि जमा किये जाने पर उक्त सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति राशि में से 50 प्रतिशत राशि आवेदिका क्रं. 01 अफसाना को एवं 25—25 प्रतिशत राशि आवेदक क्रं. 02 व 03 को प्राप्त होगी।

06. आवेदिका क्रं. 01 अफसाना को प्राप्त राशि में से 25 प्रतिशत राशि आर.टी.जी.एस./इलेक्ट्रानिक भुगतान के माध्यम से बैंक स्थित उनके खाते में अंतरित किया जावे तथा शेष उसके हिस्से की सम्पूर्ण राशि उसके नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में तीन समान भागों में विभाजित कर क्रमशः 2, 4 व 6 वर्ष की अवधि के लिये सावधि जमा योजना के अंतर्गत पृथक—पृथक जमा कराई जावे, जिस पर अधिकरण की अनुमति के बगैर कोई ऋण, जमानत या अग्रिम स्वीकार न किया जावे।

07. आवेदक क्रं. 02 व 03 को प्राप्त राशि में से 50—50 प्रतिशत राशि आर.टी.जी.एस./इलेक्ट्रानिक भुगतान के माध्यम से बैंक स्थित उनके खाते में अंतरित किया जावे। आवेदक क्रं. 02 के हिस्से की शेष राशि उनके नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में चार वर्ष की अवधि के लिए एवं आवेदक क्रं. 03 के हिस्से की शेष राशि दो वर्ष की अवधि के लिये सावधि जमा योजना के अंतर्गत पृथक—पृथक जमा कराई जावे, जिस पर अधिकरण की अनुमति के बगैर कोई ऋण,

जमानत या अग्रिम स्वीकार न किया जावे।

08. प्रकरण में आवेदकगण को यदि धारा 140 मो0व्ही0एक्ट के तहत कोई अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि दी गई हो तो वह कुल क्षतिपूर्ति राशि में समायोजित की जावे।

09. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर 2,000/–(एक हजार रूपये) नियत किया जाता है।

10. उक्त राशि अनावेदक क्रं 01 इस अधिकरण के भारतीय स्टेट बैंक इंदौर के खाता क्रमांक **53043042732,** आई0 एफ0 एस0 सी0 कोड SBIN0018075 में एक माह के अंदर जमा कर इस अधिकरण को सूचित करें।

तदनुसार व्यय तालिका बनाई जाये।

तद्नुसार अधिनिर्णय घोषित किया गया।

स्थान–इंदौर
दिनॉक–29.07.2026

मेरे बोलने पर टंकित एवं मेरे द्वारा घोषित।

सही/–
(विश्व दीपक तिवारी)
सोलहवें सदस्य, मोटर दुर्घटना
दावा अधिकरण, इंदौर म.प्र.

BISHWA DEEPAK TIWARI
Digitally signed by BISHWA DEEPAK TIWARI
Date: 2026.07.29 16:30:56 +0530